

बिहार सरकार
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14

विज्ञापन संख्या : बी.सी.ई.सी.ई.बी. (डी.सी.ई.सी.ई.)-2018/24 दिनांक- 21.01.2019

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (DCECE)-2018 के आधार पर
पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय): [PM] / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक
स्तरीय): PMD पाठ्यक्रम समूह में नामांकन हेतु द्वितीय काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के संबंध में
आवश्यक सूचना

DCECE (PM / PMD)-2018 के आधार पर विज्ञापन संख्या- बी.सी.ई.सी.ई.बी.(डी.सी.ई.सी.ई.)-2018/06 दिनांक- 24.06.2018 द्वारा पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) : PM / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) : PMD पाठ्यक्रम समूह हेतु प्रकाशित मेधासूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों सहित DCECE (PM / PMD)-2018 की परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को एवं सम्बन्धित संस्थानों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि DCECE (PM / PMD)-2018 के चिकित्सा संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम काउन्सेलिंग उपरान्त उपलब्ध रिक्तियों पर सीट पुनर्आवंटन / आवंटन के लिये आयोजित की जानेवाली द्वितीय काउन्सेलिंग से सम्बन्धित संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार रिक्तियों की विवरणी पर्षद के वेबसाइट <http://bceceboard.bihar.gov.in> पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. उपरोक्त कॉडिका-1 के अनुसार रिक्तियों के विरुद्ध पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) : PM / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) : PMD पाठ्यक्रम समूह की द्वितीय काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए डी.सी.ई.सी.ई.-2018 में सम्मिलित PM / PMD पाठ्यक्रम समूह के सभी उम्मीदवार [विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई.सी.ई.बी.(डी.सी.ई.सी.ई.)- 2018/06 दिनांक 24.06.2018 एवं 2018/18 दिनांक 06.11.2018 द्वारा समाचार पत्रों में पूर्व प्रकाशित सूचनाओं के अन्तर्गत PM / PMD पाठ्यक्रम समूह की मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों सहित] पात्रता प्राप्त हैं। उनके यथाउपलब्ध कुल प्राप्तांको पर आधारित पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) : PM / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) : PMD पाठ्यक्रम समूह के लिये उनके कोटिवार मेधाक्रम (Merit Serial) पर्षद के [website:http://bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है। उपरोक्त पात्रता प्राप्त प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार (चाहे वे डी.सी.ई.सी.ई.-2018 के प्रथम काउन्सेलिंग के आधार पर किसी संस्थान में नामांकित हों अथवा नहीं हो) आरक्षण कोटिवार अपना PM / PMD मेधाक्रमांक प्राप्त कर PM / PMD पाठ्यक्रम समूह की द्वितीय काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिये निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार अपना Option निम्न कार्यक्रम अनुसार Online Submit कर दें।

कार्यक्रम निम्नवत है:

- Filling up Option period : 23.01.2019 to 03.02.2019 (up to 05.30 P.M.)
- Publication of merit List with Counselling : 06.02.2019 (5.00 P.M.)
- Counselling Starting Date : 12.02.2019

“पर्षद के वेबसाइट <http://bceceboard.bihar.gov.in> के Home page पर जाकर Para Medical (PM) / Para Medical Dental (PMD) Rank of DCECE-2018 के प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर डी.सी.ई.सी.ई.-2018 का अपना रोल नं. एवं जन्म तिथि डाल कर PM / PMD मेधाक्रम की जानकारी ले लें।” इसके आधार पर यदि अभ्यर्थी कॉडिका-1 में उल्लिखित काउन्सेलिंग में सम्मिलित होना चाहता है तो 'Submit your option online' बटन पर Click करे और उसका प्रिंट निकाल ले जिसपर उसका कोटिवार PM / PMD मेधाक्रम एवं Option ID छपा होगा। इस प्रिंट को काउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

3(क). डी.सी.ई.सी.ई.(PM / PMD)-2018 में सम्मिलित केवल वैसे सभी उम्मीदवार ही उपरोक्त कॉडिका-1 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु काउन्सेलिंग में भाग लेने के लिये अन्तिम रूप से पात्रता-प्राप्त (eligible) होंगे जिन्होंने उपरोक्त कॉडिका-2 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उपरोक्त काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने Option को Online submit कर अपना कोटिवार PM / PMD मेधा क्रमांक एवं Option ID दिनांक 23.01.2019 से दिनांक 03.02.2019 (5:30 बजे अपराह्न तक) की अवधि में प्राप्त कर लिया है।

(ख) कॉडिका 1 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सीट पुनर्आवंटन / आवंटन हेतु पर्षद की वेबसाइट <http://bceceboard.bihar.gov.in> पर निर्धारित काउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक 06.02.2019 से उपलब्ध करा दिया जायेगा। काउन्सेलिंग दिनांक 12.02.2019 से प्रारम्भ होगा।

4. (क) उपरोक्त कॉडिका 3(क) के अनुसार पात्रता-प्राप्त एवं निर्धारित तिथि तक अपना Option Online Submit करने वाले जिन उम्मीदवारों को उपरोक्त कॉडिका 3(ख) के अनुसार उपलब्ध साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिये उनके सामान्य कोटि के मेधाक्रम अनुसार सम्मिलित किया गया है, वे अपने साक्षात्कार तिथि / तिथियों को स्वयं साक्षात्कार में उपस्थित हों अन्यथा ऐसे उम्मीदवार उपरोक्त कॉडिका 3(ख) के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं तदनुसार पुनर्आवंटन/ आवंटन/ नामांकन हेतु अपना दावा खो देंगे।

(ख) आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधा-सूची में सम्मिलित हैं, उनके रोल नम्बर सामान्य (Unreserved [UR]) कोटि की मेधा-सूची में तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित कोटि की मेधा-सूची में भी अंकित हैं। ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान/ पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) के मेधा क्रमांक पर काउन्सेलिंग / साक्षात्कार में अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। अतः आरक्षण कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधासूची में सम्मिलित है उनको अपने सामान्य (Unreserved [UR]) मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को काउन्सेलिंग हेतु आना अनिवार्य है। अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जायेंगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

5. (क) विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार, आरक्षण कोटिवार संख्या साक्षात्कार के समय देखी जा सकती है।
(ख) साक्षात्कार कार्यक्रम तथा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर सीट आवंटन हेतु सभी नियम वही रहेंगे जिनका उल्लेख पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन सं.-बी.सी.ई.सी.ई.बी. (डी.सी.ई.सी.ई.)-2018/06 दिनांक 24.06.2018 एवं 2018/18 दिनांक 06.11.2018 में है।
6. साक्षात्कार एवं सीट आवंटन का कार्य बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, आई०ए०एस० संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में सम्पन्न होगा।
7. प्रत्येक उम्मीदवार को विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी / कार्यालय / संस्थान द्वारा निर्गत सभी निर्मांकित मूल प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज एक-एक स्वसत्यापित फोटो प्रति के साथ लाना अनिवार्य है।
(i) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबधिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)।
(ii) इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबधिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (केवल PM पाठ्यक्रम समूह के उम्मीदवारों के लिये)।
(iii) डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डी.सी.ई.सी.ई.)-2018 का मूल प्रवेश-पत्र (Admit Card) तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की आठ अतिरिक्त प्रतियाँ।
(iv) मूल जाति प्रमाण-पत्र (v) मूल आवासीय प्रमाण-पत्र (vi) चरित्र प्रमाण-पत्र (vii) विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हों, यथा- विकलांगता कोटा (DQ) हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र आदि। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मूल निवास के जिला पदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत ए.डी.एम./ एस.डी.ओ. [सिविल]) / स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें।
(viii) दिनांक 09.12.2018 तक सम्पन्न प्रथम कॉउन्सेलिंग के आधार पर जिन उम्मीदवारों का किसी संस्थान में नामांकन हो चुका है और वे कॉडिका-3 में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार द्वितीय कॉउन्सेलिंग में भाग लेने हेतु अपना Option Online Submit किया हो तो वे नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद तथा संस्थान के प्राचार्य से विहित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार संस्थान का **Bonafide** छात्र है और उसके सभी मूल प्रमाण-पत्र उस संस्थान के कार्यालय में जमा हैं को लेकर कॉउन्सेलिंग में उपस्थित हों। प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का बी.सी.ई.सी.ई.-2018 का रोल नं., मेधा क्रम तथा कोटि जिसके अन्तर्गत उसका नामांकन हुआ है, का भी उल्लेख रहना चाहिये। इसके लिए विहित प्रपत्र का Format पर्षद की उपरोक्त Website पर उपलब्ध है।
(ix) उक्त विहित प्रपत्र अभ्यर्थी तीन प्रतियों में भरकर संस्थान में जमा करेंगे। प्राचार्य द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित एक प्रति के साथ अभ्यर्थी कॉउन्सेलिंग में उपस्थित हों। दूसरी प्रति कॉउन्सेलिंग प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व संस्थान के प्राचार्य पर्षद कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। तृतीय प्रति संस्थान कार्यालय के लिए होगी।
उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों में से जो मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज उम्मीदवार द्वारा उस संस्थान में जमा हों जहाँ उसका नामांकन हुआ है तो उस संस्थान के प्राचार्य से उनके जमा होने और आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय अवश्य प्रस्तुत करें।
8. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन की कॉडिका-3 के साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पात्रता प्राप्त (eligible) हैं और विधिवत अपना option online भर दिया है उनको इस साक्षात्कार हेतु अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कॉडिका 2 के अनुसार निर्धारित तिथि तक साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए Online option submit किया है तो वे इस सूचना के आधार पर निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जायेगा जिसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक Online option submit नहीं करेंगे, वे कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के योग्य / हकदार नहीं होंगे।
9. प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

परीक्षा नियंत्रक